

38

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-२१/२०१७/२०२२ निगरानी प्रकरण क.

1. श्रीमति अंगूरी बाई पत्नी श्री गेंदालाल राठौर, आयु वयस्क,

2. महेन्द्र राठौर आ० श्री गेंदालाल राठौर, आयु वयस्क

दोनो निवासी-प्लॉट नंबर 6 व 7, शिवनगर कालोनी

फेस-3, ग्राम भानपुर, गोविन्दपुरा वृत्त, भोपाल म.प्र. --- आपत्तिकर्ता/अनावेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन-

स्व. सुधाकर तिवारी
12/11/2017
केम्प भोपाल म.प्र.

मा. 2017(2) न्यायिक तहसीलदार के.प्र. तिवारी
गोपाल म.प्र.

आवेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959


निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी (श्री सुधाकर तिवारी) द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/ए-68/2016-17 पक्षकार शासन विरुद्ध अंगूरी बाई व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./भोपाल/भू.रा./2017/2022

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-2017 का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि पूर्व में किया गया सीमांकन वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । वैसे भी यह अतिक्रमण का प्रकरण है । सीमांकन की कार्यवाही पृथक कार्यवाही है, जिसे आवेदक पृथक से चुनौती दे सकता है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>